द्वारा दिनांक 16/3/2021 को ... की गई,
पंजीकृत तलबी की रसीदें प्रस्तुत की गई,
वादी अधिवक्ता द्वारा पंजीकृत तलबी दिनांक
20-10-2020 को करवाई गई, जिसकी निर्धारित
समयावधि व्यतीत हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या
5/1, 5/2/1, 5.3 ता 5.6, 10.1, 10/2/1 ता 10/2/3,
10.3 ता 10.8, 11, 12, को निरंतर रूक-रूक कर
बार-बार आवाजे लगाये जाने पर भी उपस्थित
नही, अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही की जाती है। अधिवक्तागण द्वारा
प्रस्तुत बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA
सुनी गई, पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आईन्दा
पेशी दिनांक 27-4-2021 को पेश हो।

27-4-2021 पत्रावली पेश हुई, बहस अन्तर्गत प्रा० पत्र
212 RTA सम्यक की जा चुकी है। अधिवक्ता
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए
कथन किए कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी एवं
अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी है
जब तक खाता विभाजन नही हो जाता है
तब तक अप्रार्थीगण उस आराजी को रहन-बैय

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(...) श्रीगंगानगर

नही कर सकते है। संयुक्त खाते की आराजी मे प्रत्येक रंच पर प्रत्येक सहकात्तकार का कब्जा होता है। अतः जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा कनफर्म फरमावे, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनो मे न्यायिक दृष्टांत :- RBJ (17) 2010 शंकर लाल बनाम दलीपकुमार, 2009 (1) RRT 141 मकबुल व अन्य बनाम गनी व अन्य, 2013 (1) RRT 152 गुरुपुरणपाल सिंह बनाम गुरुबरजीतसिंह व अन्य प्रस्तुत किये गये।

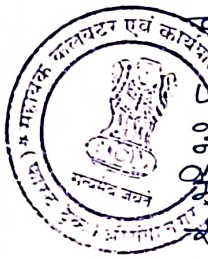

जवाब बहस मे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या :- 3/1 ता 3/8 ने कथन किये कि प्रार्थी द्वारा संयुक्त खाते की आराजी मे विशिष्ट भू-भाग पर कब्जे के संबन्ध मे कोई सबूत पेश नही किया है। प्रार्थी केवल अपनी हद तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी द्वारा रिश्ततन तत्काल को रोकने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत :- RRT 2015 (1) 567 मुलचंद व अन्य बनाम धोडु व अन्य, RRT 2015 (2) 1182 दुलचंद बनाम रेवेन्यु बोर्ड व अन्य प्रस्तुत किए गये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया एंव मनन किया गया।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित तीनो बिन्दुओ :- (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति पर विचार किया गया।

यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि जिससे इस आराजी के किसी विशिष्ट भू-भाग पर उसका कब्जा होना साबित हो। संयुक्त खाते की आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक रंच पर सम्मान अधिकार होता है। सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उसके खातेदारी अधिकार प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है। प्रार्थी केवल अपने हक व हिस्से तक की भुमि पर अनुतोष पाने का अधिकारी है। सम्पुर्ण खाते पर स्थगन आदेश से सहखातेदार के खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है।

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

न्यायिक दृष्टांत : 2015 (1) RRT 567 के अनुसार (T.I. can be obtained for Khatedari land only and Not for the Entire land- Held) उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक : 19-10-2020 खारिज की जाती है। पत्रावली मिस्तीबद्ध है, पत्रावली मूलवाद के निस्तारण तक मूलवाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय लिखवाया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुनाया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(R.A.S)
सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर